सीपी साहब! एफआईआर लिखे जाने की सच्चाई देख लो

एफआईआर दर्ज नहीं करने पर अड़ा पुलिस अधिकारी रणवीर

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा आम जनता की शिकायत फौरन सुने जाने और एफआईआर दर्ज किए जाने के चाहे जितने दावे कर लें लेकिन उनके थानों में पुलिस की अपनी मर्जी चलती है। चोरी की एफआईआर दर्ज कराना तो ना मुमकिन ही है, पुलिस चोरी की जगह सामान खोने का एप्लीकेशन देने का दबाव बनाती है। अगर किसी के दबाव में मजबूरी में एफआईआर दर्ज करनी पड़ी तो शिकायतकर्ता को थाने के इतने चक्कर लगवाए जाते हैं कि वह एफआईआर दर्ज कराने के फैसले पर पछताता नजर आता है। यह हाल पहुंच वालों का है तो समझा जा सकता है कि आम जनता से थाने में कैसा व्यवहार होता होगा।

ईएसआई मेडिकल कॉलेज के ट्रायल डिपार्टमेंट में तैनात अखिल चौहान अपने स्टाफ के पांच साथियों के साथ मंगलवार की रात सेक्टर 12 स्थित मॉल में मूवी देखने गए थे। सब अपने बैग कार में ही रख कर दरवाजा लॉक कर हॉल में चले गए। इस दौरान किसी ने उनकी कार के दरवाजे का शीशा तोड़ा और उसमें रखे छह बैग लेकर फरार हो गया। शो खत्म होने पर चोरी का पता चला तो सब एफआईआर दर्ज कराने सेक्टर 12 थाने पहुंच गए। यहां मौजूद पुलिस अधिकारी रणवीर ने एफआईआर दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। उसे बताया गया कि बैगों में तीन लैपटॉप के साथ सभी साथियों के जरूरी कागजात जैसे आईकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैनकार्ड, बैंकों के दस्तावेज, चेकबुक आदि थे। रणवीर ने उल्टे समझाया कि एफआईआर दर्ज कराने से थाने के बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे इससे बेहतर है कि सामान गुम होने की शिकायत दे दो। थाने की मुहर लगे शिकायती पत्र को जमा करने से तुम लोगों के चोरी हुए दस्तावेज आदि की दूसरी कॉपी मिलने में आसानी होगी।

काफी मिन्नतों के बाद भी रणवीर एफआईआर दर्ज करने पर राजी नहीं हुआ। इस पर अखिल चौहान ने अपने पत्रकार भाई धनंजय चौहान को फोन कर मदद मांगी। धनंजय चौहान ने एसएचओ सेक्टर 12 को फोन किया तब जाकर रणवीर ने अनमने ढंग से एफआईआर दर्ज की। एफआईआर की कॉपी लेने के लिए बुधवार सुबह थाने पर बुलाया। बुधवार सुबह अपनी ड्यूटी का हर्जा कर थाने पहुंचे अखिल चौहान को रणवीर ने तीन घंटे तक बाहर बैठाए रखा। उन्होंने कॉपी मांगी तो अभद्रता करते हुए बोला कि मैने पहले ही बोला था कि एफआईआर करवाने पर बार-बार थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे, अब करो इंतजार जब समय मिलेगा तब दी जाएगी एफआईआर कॉपी। धनंजय चौहान ने इसकी शिकायत पुलिस जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) सूबे सिंह से की लेकिन रणवीर ने उनकी भी नहीं सुनी। दरअसल पीआरओ सूबे सिंह खुद ईएसआई हैं, ऐसे में थानों में तैनात पुलिस अधिकारी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते।

धनंजय सिंह ने रणवीर के दुर्व्यवहार की शिकायत डीसीपी सेंट्रल पूजा वशिष्ठ से की तब जाकर पीड़ित को एफआईआर कॉपी मिली। पुलिसकर्मी के व्यवहार से

ही पता चल रहा है कि वह चोरों की तलाश में कितनी गंभीरता से काम करेगा।

अपराध नियंत्रित करने में पूरी तरह से असफल पुलिस का ये जाना माना हथकंडा है कि मुकदमे को दर्ज ही न किया जाए। मुकदमा दर्ज होने के बाद ही अपराध गिनती में आते हैं। इसलिए अपराधों की संख्या कम से कम दर्शाने के लिए पुलिस हमेशा एफआईआर दर्ज करने से मना करती है। जब तक मोटी रकम न दी जाए अथवा मोटा डंडा न पेला जाए किसी शरीफ आदमी की एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती।

पुलिस विभाग की नियमावली में एफआईआर दर्ज न करना एक बड़ा जुर्म है जिसकी सजा में संबंधित अधिकारी की बर्खास्तगी तक की जा सकती है, इतना ही नहीं आईपीसी की धारा 166 ए के तहत यह एक संज्ञेय अपराध है, जिसमें अधिकारी को कैद भी हो सकती है। लेकिन थानों के ऊपर बैठे तमाम सुपरवाइजरी अफसरों द्वारा बरती जाने वाली ढिलाई के चलते थाना अधिकारी इस जुर्म को करने से बाज नहीं आ रहे।

पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने हेट स्पीच.....

पेज एक का शेष

शिकायतकर्ता के आने का इंतजार किए बगैर स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करे। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो इसे न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। उनका आरोप है कि खुद को बजरंगदल का सदस्य बताने वाला बिट्टू बजरंगी दलित और मुस्लिम समाज के खिलाफ लगातार आपराधिक कार्य कर रहा है लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही।

समिति के सदस्य पप्पू क़ुरैशी का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी बिट्टू बजरंगी ने पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने मुस्लिम समाज के खिलाफ भावनाएँ भड़काने वाली बातें कहीं। उसने मुजेसर थाना परिसर में पुलिस के सामने और बीके अस्पताल परिसर में खुफिया विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में मुस्लिम समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहीं। बावजूद इसके पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल बाबा ने बताया कि कुछ दिन पहले बिट्टू बजरंगी और उसके साथियों ने हार्डवेयर चौक के पास रेहड़ी लगाने वाले दलित युवक के यहां से अंडे खाए। पैसे मांगने पर उसको पीटा और सामान फेक कर रेहड़ी तोड़ डाली। पीड़ित शिकायत लेकर मुजेसर थाने गया तो पुलिस ने केस दर्ज करने के बजाय उसे यह कहते हुए भगा दिया कि अरे बजरंगदल के बंदे हैं, जाओ कुछ नहीं होगा। इन लोगों का आरोप है कि सांप्रदायिक दंगाई अराजकता फैलाने के लिए आए दिन कहीं न कहीं बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ देते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती।

इन लोगों का सवाल है कि जब बिट्टू बजरंगी पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने या मुजेसर थाना परिसर में मुस्लिम समाज के खिलाफ जहर उगलता है तब पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों घबराती है। यदि ऐसे दंगाइयों से भी पुलिस डरती रही तो आम आदमी का कानून व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा और मजबूर होकर उसे खुद ही ऐसे गुंडों से निपटना पड़ेगा।

28 अप्रैल को पुलिस हिरासत में दलित राजबीर की हत्या पर कोई कार्रवाई नहीं

- पुलिस एवं प्रशासन की निष्क्रियता से निपटने के लिए भीम आर्मी ने उठाया बीड़ा

- सीपी विकास अरोड़ा ने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) मज़दूर मोर्चा के 7-13 मई अंक में दलित राजबीर की पुलिस द्वारा की गई हत्या का पूरा मामला प्रकाशित किया था। उसके बावजूद न तो पुलिस न ही जिला प्रशासन और न ही राजनेताओं के कान पर जूं तक रेंगी। अब इस मामले से निपटने के लिए भीम आर्मी के नेता दीन दयाल गौतम, अनिल बाबा व उनकी टीम ने बीड़ा उठाया है। इसके लिए जमीन पर भी संघर्ष करेंगे और अदालतों में भी लड़ेंगे।

हिरासत के दौरान हुई दलित फल विक्रेता राजबीर की मौत के मामले को दबाने में जुटी बल्लबगढ़ पुलिस की मुसीबत बढ़ने वाली है।

बल्लबगढ़ बस अड्डे के पास केले की रेहड़ी लगाने वाले दलित फल विक्रेता राजबीर की पुलिस हिरासत में पिटाई से मौत हो गई थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए कई खेल कर दिए थे। राजबीर को पकड़ कर चौकी की हिरासत में रखने वाले पुलिसकर्मियों का नाम एफआईआर में लिखा ही नहीं गया। हिरासत में होश खोने वाले राजबीर को इलाज और मेडिकल जांच कराने के लिए पुलिस खुद नहीं ले गई बल्कि परिवार वालों पर दबाव बनाया। परिवार वालों ने इनकार किया तो पुलिस ने एक ऑटो में बेसुध राजबीर को लाद कर फ्लाई ओवर के नीचे फेक दिया। लाचार परिजन उसे वहां से उठाकर बल्लबगढ़ के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे थे लेकिन डॉक्टर ने पुलिस केस बताते हुए राजबीर को हाथ नहीं लगाया। परिजन

मृतक दलित राजबीर

बार-बार थाने जाकर पुलिस को अस्पताल पहुंच कर कार्रवाई करने की गुहार लगाते रहे लेकिन कोई पुलिस वाला अस्पताल नहीं पहुंचा। नतीजा यह हुआ कि हिरासत में लगी गहरी चोटों का समय पर इलाज नहीं मिलने से राजबीर की मौत हो गई।

भीम आर्मी के सदस्य दीनदयाल गौतम का कहना है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में परिवार वालों को गुमराह किया और अपने किसी दल्ले को पकड़ कर मुद्दई बनाकर ऐसी एफआईआर लिखवा ली जिसमें हत्यारोपी पुलिसियों का कुछ न बिगड़ सके। तफ्तीश करने वाला अधिकारी ने भी राजबीर को पुलिस हिरासत में लिए जाने की घटना को सिरे से गायब कर गया। भीम आर्मी की लीगल सेल दलित समुदाय के व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत के सभी पहलुओं का बारीकी से अध्ययन कर रही है, जल्द ही कोर्ट में केस दर्ज कर पुलिस को कटघरे में खड़ा करने की बात कही जा रही है।

गौरतलब है कि 6 मई की हत्या की खबर लिखे जाने तक दो सप्ताह हो चुके हैं। तीन सप्ताह में भी जो पुलिस इस हत्याकांड की जांच तक नहीं कर सकी उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। इसमें जांच करने लायक विशेष कुछ भी नहीं है सब कुछ स्वत: स्पष्ट नजर आ रहा है, जांच तो हुई पड़ी है और अदालतों में जैसा न्याय मिलता है वह सबको पता है।

जब किसी रसूखदार दलित नेता अथवा अधिकारी की उंगली का नाखून भी कट जाता है तो दलित वर्ग के तमाम बड़े-बड़े ठेकेदार उनके हितों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग तक दौड़ा-दौड़ा मौके पर चला आता है परंतु यह एक बहुत ही गरीब, रेहड़ी लगाकर केले बेचने वाले दलित का मामला है इसलिए इसकी 'बारीकी से जांच की जाएगी' और लीगल टीम अदालतों में अपनी नौटंकी करेगी।

यह भी गौरतलब है कि बल्लबगढ़ जोन के मौजूदा डीसीपी राजेश दुग्गल खुद भी दलित वर्ग से आने का दावा करते हैं और उनकी पत्नी भी दलित सीट से लोकसभा सदस्य हैं। इसके बावजूद दलित राजबीर के परिवार को न्याय दिलाने के लिए कोई उसके साथ जुड़ना नहीं चाहता। इस तरह की घटनाएं सिद्ध करती हैं कि जाति के आवरण का इस्तेमाल भी जाति विशेष के समृद्ध-संपन्न लोग केवल अपने हितों में ही करते हैं।